

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज 0 जयपुर

क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो.)डीएलबी/23/2023 दिनांक 14/06/2023

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 व के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सम्बन्धित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को धृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार विन्मार्जित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत मालाखेडा (जिला अलवर) को सम्मिलित करते हुए एतद्वारा तत्काल प्रभाव से शतुर्ध श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है -

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र एवं जनसंख्या
01.	अलवर	मालाखेडा	ग्राम पंचायत मालाखेडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम मालाखेडा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जनसंख्या - 11,529 (जनगणना 2011 के अनुसार)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मालाखेडा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेंगी । विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दि 1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मालाखेडा के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में कमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।

यह आदेश स्वयं स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(द्विदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो.)डीएलबी/23/2023-2116 दिनांक : 14/06/2023
प्रतिलिपि सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य विज्ञान आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
07. सचिव/अध्युक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अंतिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, एवं अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त जयपुर /जिला कलेक्टर अलवर (राजस्थान) ।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय ।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी अस्ताधारण अंक राज. राजपत्र प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार /समस्त अधिकारोंगण एवं अनुमान, निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
14. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सरपंच /उपसरपंच/सचिव,संबन्धित ग्राम पंचायत मालाखेडा (अलवर) (राज.)।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी